भाग -
6

िेखा सधारणां

साधारण-।

31. मलन्दर िेखा:

(1) बोर्ा यह देखेगा वक मवतायों के विए या मवन्दर के रखू - रखाि या ऄनपोषण के विये या ईससे ु समबवन्धत कोइ सेिा या पण्य करने के विये ऄवपात िस्तु ओु ं, भेंटों तथा ऄन्य समस्त दानों तथा मवन्दर की समस्त अयों का ईवचत रूप से िेखा रखा जाता ह।ै िह ईवचत रवजस्टर तथा प्रारूप विवहत करेगा वजनमें िेखे रखे जाने ह।ैं

(2) बोर्ा यह सवनवश्चत करेगा वक मवन्दर के समस्त देय सही ह ैु तथा वनयवमत रूप से सग्रवहत वकये ं जाते ह ैंऔर शीघ्रता से मवन्दर वनवध में वनविि वकये जाते ह।ैं

(3) मख्य कायापाि‍क ऄवधकारी यह देखेगा वक समस्त भेंटु , सममख भेंटु, भण्र्ारों या समधन पर भेंट, विवभन्न सेिाओ के रूप में भेंट , गोिक भेंट, ड्राफ्टों की माि त भेंट तथा भेवटयाओ की ं माि त प्राि की गइ भेंटों को सवममवित करके धन को दैवनक प्राविया विवहत रोकड़ बही में ं समवचत रूप से दजा की गइ ह ैु और ईसी के विए शीघ्रता से रसीदें जारी की गइ ह ैतथा समस्त ऐसे धन वबना विमब के मवन्दर के िेखे में वनविि वकये गये ह।ैं रोकड़ बही की

प्रविविया मं ख्य ु कायापाि क ऄवधकारी द्वारा प्रवतवदन ऄनप्रमावणत की जाि ेगी।ु

(4) मख्य कायापाि क ऄवधकारी यह सु वनवश्चत करेगा वक मवन्दर की समस्त अय सही ु -सही तथा
वनयवमत रूप से ि ेखे में प्रस्तत की गइ ह ै ु तथा कोइ त्रोटन नहीं ह ैऔर आस प्रयोजन के विए यह देखेगा वक पयाािि जाचों का प्रयोग वकया गया ह ैं तथा ि ेखों के माविक वनरीि ण वकये गये ह।ैं

(5) मख्य कायापाि क ऄवधकारी यह सु वनवश्चत करेगा वक मवन्दर को देय कोइ रकम वबना पयाािि ु कारणों के नहीं छोड़ी गइ ह ैतथा जब कभी ऐसे देय ऄिसिनीय प्रतीत हो तो आसके समायोजनू , माि ी, सन्दाय में कमी करने या बट्टे खाते र्ाि ने के विए सिम प्राावध कारी का अदेश वबना वि िमब के चाहा गया ह।ै

(6) िास्तविक ि िसी के पश्चातू जमा वकया जाना्:- कोइ भी रावश मवन्दर के राजस्ि के रूप में तब तक जमा नहीं की जाि ेगी, जब तक वक िह िस्ततः िसु ि न कर ि ी गइ होू ,
िासतविक ि िसी ू के बाद ही जमा वकया जाना चावहए।

(7) नकद तथा मलयिाू न िस्तओु की ऄवभरिां :- मवन्दर के धन, मलयिान प्रवतभू वतयाू ं तथा िस्तऐु ं तथा महत्िपणा दस्तािेज मण्र्ि द्वारा वकये गये आन्तजामों के ऄनू सार मवन्दर खजाने में या बोर्ा ु द्वारा ऄनमोवदत बैंक में रखे जायेंगे। के िि बोर्ा द्वारा प्रावधकु ृ त व्यवि ही नकद, प्रवतभवतू यों तथा
ऄन्य मलयिान िस्तू ओु को समभाि ने के विए न्यस्त वकये जायेंगे। मं ख्य कायापाि क ऄवधकारी ु ईनकी ईवचत ऄवभरिा

तथा वनयमों और ऄन्य ऄनदेशों के ऄनु पाि न के विए ईत्तरदायी होगा।ु

32. **लनलधयों का आहरण तथा जाांचों का प्रयोग लकया जाना:-**

(1) मख्य कायापाि क ऄवधकारीु या बोर्ा द्वारा आस वनवमत्त विशेष रूप से प्रावधकृ त वकसी ऄन्य ऄवधकारी द्वारा हस्ताि ररत चाि ान या चकै के वसिाय मवन्दर खजाने या बैंक से वकसी भी धन या ि स्त का अहरण या वनकाि ा जाना ऄनु ज्ञात नहीं वकया जायेगा। धन बोर्ा द्वारा ऄवधकवथत ु पद्धवत के ऄनसार तैयार ऄवधकोु ष विपत्र पर सदत्त वकया जायेगा। मवन्दर वनवधयों से धन तब ं तक नहीं वनकाि ा जायेगा जब तक वक ि ह वकसी वनयम के ऄधीन व्यय के वकसी मद पर या सिम प्रावधकारी के विवशि अदेश पर तरन्त सु वितरण के विए ऄपेवित न हो।ं

(2) बोर्ा के वनवमत्त व्यय ईपगत करने ि ाि ा या व्यय प्रावधकृ त करने ि ाि ा प्रत्येक ऄवधकारी वित्तीय औवचत्य के स्थावपत स्तरों द्वारा मागादवशात होगा तथा ि ैसी ही सतका ता का प्रयोग करेगा जो मामिी प्रज्ञाि ाि ा व्यवि ऄपने स्ि यू के धन के व्यय के समबन्ध में करता ह।ैं

(3) व्यय के विए प्रावधकार की मजं री ज्यों ही आसकी पू ूवता करने के विये वनवधया अिं वटत की जाती ं ह ैप्रित्त हो जाती ह।ैृ और ि षोनिषी वनवधयों के ईपबन्ध के ऄध्यधीन ईस ि षा के विये या यवद ु वकसी विवशि मामिे में अिेवध एक ि षा से ऄवधक ह ैतो विवनवदाि काि ाि वध , यवद कोइ हो, के विये प्रित्त रहती ह।ैृ

(4) वनविाि◌ाद देय धन के सन्दाय में देरी समस्त वनयमों के प्रवतकू ि ह ैतथा आससे बचना चावहए।

(5) मख्य कायापाि◌क ऄेवधकारी देखेगा वक कु ◌ु ि व्यय न के ि◌ि प्रावधकृ त विवनयोग की सीमाओ के ◌ं भीतर रखा जाता ह ैबवलक यह भी वक अिवटत वनवधयों को मवन्दर के वहत तथा सेि◌ा में तथा ◌ं ईस ईद्देश्य पर भी खचा वकया जाता ह ैवजसके विए ईपबन्ध वकया गया ह।ै

(6) मख्य कायापाि◌क ऄेवधकारी मवन्दर वनवधयों या ऄेन्य मवन्दर समपवत्त के वकसी गित सु दायं , व्ययहरण, गबन की ऄेध्यि को तरन्त ररपोटा करेगा तथा वस्थवत के ऄेनु रूप यथोवचत कायाि◌ाही ◌ु करेगा।

33. मलन्दर लनलधयों का लवलनधान:-

(1) मवन्दर को समस्त ऄेवधशेष विवनवधया जो समयं -समय पर विवनधान के विए ईपिब्ध हों , तथा जो धारा 28 में यथा विवनवदाि◌ मवन्दर के प्रयोजनों के विए तरन्त या पु ि◌ा तारीख को ईपयोवजत ◌ू नहीं की जा सकी है, न्यास या विन्यास के ऄेनदेश में ऄेन्तविाि◌ वकसी वनदेश कु ऄेध्यधीन -

1. ईत्तम प्रवतभवतयों◌ू ,
2. ऄेलप बचत योजना,
3. ऄेनसु वचत बैंकों◌ू ,
4. र्◌ाकघर बचत बैंक,
5. राजस्थान ि◌ोक न्यास ऄेवधवनयम की धारा 30 के ऄेधीन न्यास वनवधयों के

विवनधान के विये प्रावधकृ त प्रवतभवतयों में विवनवहत या वनवि‍ि की जा‍ि‍ेगी।‍ू

(2) प्रवतभवतया‍ू ‍ं वजनमें मवन्दर की ऄवधशेष वनवधया विवनवहत की जा सके गीं , बोर्‍ा के नाम में होगी।

भण्डार-II

34. **भण्डार की वस्तओु का ‍ि‍ेखा रखनाां:-** खरीदी गइ या ऄवपात ‍िस्तओु ए‍ि भेंटों के रूप में प्रा‍ि की गइ ‍ं

भण्र्‍ार की समस्त ‍िस्तओु को आस वनवमत्त प्रावधकं ‍ृ त व्यवि द्वारा पररधान ‍ि‍ेते समय जाचं , वगना, मापा या तो‍ि‍ा, यथावस्थवत तथा मलया‍ू वकत वकया जायेगा और बोर्‍ा द्वारा विवहत स्टा‍ॅ क रवजस्टरों में दजा वकया ‍ं जायेगा।

35. भण्डार वस्तओु का क्रय करनाां :-

(1) भण्र्‍ार ‍िस्तओु का क्रय मवन्दर को पररवनवश्चत ऄध्यपे‍ि‍ाओं के ऄनं सार ऄत्यन्त वमतव्यु यी रीवत से वकया जायेगा। भण्र्‍ार ‍िस्तयें ऄलप मात्रा में नहीं खरीदी जा‍ि‍ेगी। काविक व्यादेश तैयार वकये ‍ु जायेंगे तथा यथासमभि ईतनी ‍िस्तयें ऐसे व्यादेशों के द्वारा ईसी समय ऄवभप्रा‍ि की जायेगी। ‍ु यवद ऐसे क्रय का ऄिभकार साववत होना सभाव्य हो तो ‍ि‍ास्तविक ऄध्यपे‍ि‍ा‍ं ओ से ऄवधक ‍ं भण्र्‍ार ‍िस्तओु का ऄगाउ क्रय न करने पर ध्यान वदया जायेगा।‍ं

(2) भण्र्‍ार ‍िस्तओु का क्रय करने में जहां अिश्यक हो ‍िहां भण्र्‍ार ‍िस्तं ओु को प्रदान करने के ‍ं विए प्रवतयोगी वनविदायें या ईद्धरण, ईनका पया‍ा‍ि प्रकाशन करके अमवत्रत वकये जायेंगे जबवक ‍ं वदये जाने ‍ि‍ा‍ि‍े अदेश का मलय कम न हो

और वकन्हीं वनविदाओ्‍ की ऄपेि‍ा करने महं गा या ं
ऄव्यिहाररत न हो और ईस मामिे में तलय क्‍ि‍ाविटी की ि‍स्तु
ए बाजार में ईपिब्ध सबसे ं सस्ती कीमत पर खरीदी जायेगी।

(3) मख्य कायापाि‍क ऄवधकारी मवन्दर में दैवनक पु जा करने के विए ऄपेवित कोइ ू ि‍स्त यवद ऐसे ु क्रय का मलय ू 500/- रुपये से ऄवधक न हो तो वकन्हीं वनविदाओ की ऄपेि‍ा वकये वबना खं ि‍े ु बाजार से खरीद सके गा। आसी तरह , ि‍ह वकसी ऄवतअिश्यक सकमा कों , यवद आसका खचाा 500/- रुपये से ऄवधक न हो तो वकन्हीं वनविदाओ की ऄपेि‍ा वकये वबना मं जं री दे सके गा।ू

36. भण्डार वस्तओु की अलभरिाां :

(1) मख्य कायापाि‍क ऄवधकारी या भण्र्‍ार की ऄवभरिा से न्यस्त ऐसा ऄन्य ऄवधकारी आसकी ु सरिा के विये ईत्तरदायी होगा। भण्र्‍ार ि‍स्तु अो के ऐसे भारसाधक ऄवधकारी को ऐसी रकम की ं प्रवतभवत देनी पड़ेगी जो ईसकी साि‍धानी में न्यस्त भण्र्‍ार ि‍स्तू ु ओ तथा माि‍ की ईवचत ं ऄवभरिा तथा सरिा के विए बोर्‍ा द्वारा विवहत की जाय।ु

(2) भण्र्‍ार ि‍स्तओु की सं रवित ऄवभरिा के विए ि‍ेखा रखने में समस्त साि‍धानी मु ख्य ु कायापाि‍क ऄवधकारी द्वारा रखी जाि‍ेगी। यवद बोर्‍ा के वकसी ऄवधकारी या सेि‍क की ईपेि‍ा के कारण कोइ हावन या नकसान होता ह ैु तो ईतनी हावन के विये यह माना जायेगा वक ि‍ह नकदी की हावन थी।

37. भण्डार वस्तओु का वास्तलवक सत्यापनां :- समस्त ि‍स्तओु का

ि‍ास्तविक सत्यापन मं ख्य कायापाि‍क ु ऄवधकारी द्वारा एक ि‍षा में

कम से कम एक बार वकया जायेगा और ईसके द्वारा ऐसा करने के टोकन में िह समवचत रवजस्टर में एक प्रमाणु -पत्र ऄवभववखत करेगा तथा िह ईसके द्वारा भण्र्ार िस्तओु अवद ं के अवधक्य, कमी, ऄप्रावयक ऄिय के समबन्ध में देखे गये प्रत्यि त्य का वटप्पण करेगा। ऄिय के

कारण हइ हावन का विश्लेषण वकया जायेगा तथा ऄिय के कारण न हुइ ु हावन का भी कारण , ईदाहरणाथा चोरी, कपट, ईपेिा, दघाटना अवद दवशात करते हु ए वटप्पणी वकया जाना चावहए।ु

38. अलधशेष या अनप्रयोज्य भण्डार वस्तओु का व्ययनां :-

(1) ऄप्रचवित ऄवधशेष या ऄनप्रयोज्य िस्तए ईन्हीं के विए पं णा कारण देते हू ए सिम प्रावधकारी ु (देवखये परर. ध) के अदेशों के ऄधीन विक्रय द्वारा या ऄन्यथा व्ययवनत की जायेगी ऐसी िस्तएंु मख्य कायापाि क ऄवधकारी या ईसके द्वारा आस वनवमत्त प्रावधकु ृ त वकसी ऄन्य ऄवधकारी की ईपवस्थवत में नीिाम की जािेगी।

(2) बोर्ा का कोइ भी ऄवधकारी या सेिक तथा बोर्ा का कोइ भी सदस्य मवन्द र समपवत्त से बेची गइ या नीिाम की गइ कोइ िस्त नहीं खरीदेगा।ु